Government of Rajasthan

Rajasthan Medical Services Corporation Limited (RMSCL)

Department of Medical, Health & Family Welfare Services Swasthya Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

No. F.2(1)/RMSCL/Logistics/DDW/2011/23

Date - 1-06-2011

Office Orders

Rajasthan Medical Services Corporation Limited (RMSCL) has been constituted for the free distribution of medicines to all patients visiting to govt. health institutions through Drug Distribution Centers. The process of furnishing of District Drug Warehouse and Drug Distribution Center at health institutions is under process, for which an effective and efficient monitoring is required. In this context, a District Level Committee has been constituted to monitor the progress of these centers on regular basis and make them operational. Following Officers will be the member of the above said committee.

S.No	Committee Member	Designation	Role and Responsibilities
1.	Chief Medical & Health Officer	Chairman	Overall Supervision
2.	X.En./A.En. of Respective District	Member	1. Construction, renovation, up-gradation & physical
			upkeep of District Drug Warehouses. 2. Electric fixtures, fittings &
3.	District Project Coordinator, RHSDP	Member	1. Over all Management of District Drug warehouses
			2. Identify, Prepare & operationalize Drug Distribution Centers (DDCs).
4.	Health Manager (As representative of PMO)	Member	Need assessments of Drugs at District Hospital
od til ko Ligarij	the effect of the control of the con	to Sulfacione (NES).	2. Supply facilitation at
5.	Manager District Drug ware House, RMSCL, Field	Optional	District hospitals & DDCs As state representative
	Operation Tield	Member	

This District level committee will monitor the progress of designated Drug warehouses on the criteria's developed and submit the report fortnightly to MD RMSCL.

Managing Director

Copy for information and necessary action to:-

- 1. PS to Hon'ble Health Minister Govt. of Rajasthan.
- 2. PS to Principal Secretary, Medical & Health, GoR
- 3. PS Mission Director NRHM
- 4. PA to Project Director RHSDP
- 5. All Directors (PH/RCH/HA&AIDS/IEC), DM&HS, Jaipur
- 6. All Joint Directors Zone, Medical & Health
- 7. All CM&HOs
- 8. All PMOs
- 9. Concerned X.En/A.En.
- 10. All DPCs, RHSDP
- 11. All DPMs
- 12. All Health Managers
- 13. Guard File

Managing Director
RMSC

राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक : 4 (1) चिरवा / ग्रुप -2 / 2010 / &2

दिनांक 13-६-॥

आदेश

विषय :- राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के लिये "विकित्सीय क्रय नीति"।

विकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, विकित्सा क्षिया विभाग, आयुर्वेद विभाग, मेडिकल रिलीफ सोसायटी तथा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों (ईएसआई) एवं आमजन के लिए दवायें तथा विकित्सा उपकरणों के केन्द्रीयकृत क्रय एवं वितरण के कुंबल प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुये "राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमेटेड" का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत निगम के रूप में किया गया है। राजस्थान सरकार के केबिनेट मीमों के पैरा 8 (ii) में अंकित नीति को नई औषधि क्रय नीति के रूप में अंगिकार किया गया है। 2. उद्देश्य: नीति का प्रमुख उद्देश्य राजकीय अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आक्श्यक दवाईयों निश्चल्क उपलब्ध कराना है। 3. मुख्य बिन्दु: 1.* वर्तभान में जारी दवाईयों की क्रय नीति को समाप्त कर नई औषधि क्रय नीति का निर्धारण किया जा रहा है। निगम के अन्तर्गत क्रय अधिमान राजकीय सार्वजनिक उपक्रम तथा राजकीय लघु उधोग इकाईयों के लिए कुल मिलाकर 25 प्रतिक्षत (10प्रतिक्षत सार्वजनिक फर्म / उपक्रम व 15 प्रतिक्षत लघु उधोग इकाईयों) से अधिक नहीं होगा। परन्तु निविदा के जरिये प्राप्त न्यूनतम दर से मिलान करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त औषधि क्रय नीति भविष्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के हहत क्रय की जाने वाली समस्त दवाईयों, सर्जिकल, सूचर्स तथा अन्य अस्पताल उपकरणों इत्यादि की खरीद पर लागू होगी।		1.	प्रस्तावना :
किया गया है। राजस्थान सरकार के केबिनेट मीमो के पैरा 8 (ii) में अंकित नीति को नई औषधि क्रय नीति के रूप में अंगिकार किया गया है। 2. उद्देश्य : नीति का प्रमुख उद्देश्य राजकीय अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयाँ निश्चल्क उपलब्ध कराना है। 3. मुख्य बिन्दु : 1.* वर्तमान में जारी दवाईयों की क्रय नीति को समाप्त कर नई औषधि क्रय नीति का निर्धारण किया जा रहा है। निगम के अन्तर्गत क्रय अधिमान राजकीय सार्वजनिक उपक्रम तथा राजकीय लघु उधोग इकाईयों के लिए कुल मिलाकर 25 प्रतिश्रत (10प्रतिश्रत सार्वजनिक फर्म / उपक्रम व 15 प्रतिश्रत लघु उघोग इकाईयों) से अधिक नहीं होगा। परन्तु निविदा के जरिये प्राप्त न्यूनतम दर से मिलान करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त औषधि क्रय नीति भविष्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के तहत			चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा क्षिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, मेडिकृल रिलीफ सोसायटी तथा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों (ईएसआई) एवं आमजन के लिए दवायें तथा चिकित्सा उपकरणों के केन्द्रीयकृत क्रय एवं वितरण के कुश्रल प्रबन्धन को दिष्टिगत रखते हुए "राजस्थान मेरिकन सर्वितर स्वास्थान
2. उद्देश्य : नीति का प्रमुख उद्देश्य राजकीय अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आव्ह्यक दवाईयाँ निष्ठुल्क उपलब्ध कराना है। 3. मुख्य बिन्दु : 1.* वर्तमान में जारी दवाईयों की क्रय नीति को समाप्त कर नई औषधि क्रय नीति का निर्धारण किया जा रहा है। निगम के अन्तर्गत क्रय अधिमान राजकीय सार्वजनिक उपक्रम तथा राजकीय लघु उधोग इकाईयों के लिए कुल मिलाकर 25 प्रतिक्षत (10प्रतिक्षत सार्वजनिक फर्म / उपक्रम व 15 प्रतिक्षत लघु उधोग इकाईयों) से अधिक नहीं होगा। परन्तु निवेदा के जरिये प्राप्त न्यूनतम दर से मिलान करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त औषधि क्रय नीति भविष्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन के तहत		* White and Supers speed	किया गया है।
2. उद्देश्य : नीति का प्रमुख उद्देश्य राजकीय अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आक्ष्यक दवाईयाँ निश्चल्क उपलब्ध कराना है। 3. मुख्य बिन्दु : 1.* वर्तमान में जारी दवाईयों की क्रय नीति को समाप्त कर नई औषधि क्रय नीति का निर्धारण किया जा रहा है। निगम के अन्तर्गत क्रय अधिमान राजकीय सार्वजनिक उपक्रम तथा राजकीय लघु उद्योग इकाईयों के लिए कुल मिलाकर 25 प्रतिश्रत (10प्रतिश्रत सार्वजनिक फर्म / उपक्रम व 15 प्रतिश्रत लघु उद्योग इकाईयाँ) से अधिक नहीं होगा। परन्तु निविदा के जरिये प्राप्त न्यूनतम दर से मिलान करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त औषधि क्रय नीति भविष्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेझन के तहत		- Par-	ाता पर रूप न आगकार किया गया है।
3. पुख्य बिन्दु: 1.* वर्तमान में जारी दवाईयों की क्रय नीति को समाप्त कर नई औषधि क्रय नीति का निर्धारण किया जा रहा है। निगम के अन्तर्गत क्रय अधिमान राजकीय सार्वजनिक उपक्रम तथा राजकीय लघु उधोग इकाईयों के लिए कुल मिलाकर 25 प्रतिश्रत (10प्रतिश्रत सार्वजनिक फर्म / उपक्रम व 15 प्रतिश्रत लघु उधोग इकाईयों) से अधिक नहीं होगा। परन्तु निविदा के जरिये प्राप्त न्यूनतम दर से मिलान करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त औषधि क्रय नीति भविष्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के तहत		2.	उद्देश्य:
1.* वर्तमान में जारी दवाईयों की क्रय नीति को समाप्त कर नई औषधि क्रय नीति का निर्धारण किया जा रहा है। निगम के अन्तर्गत क्रय अधिमान राजकीय सार्वजनिक उपक्रम तथा राजकीय लघु उघोग इकाईयों के लिए कुल मिलाकर 25 प्रतिश्रत (10प्रतिश्रत सार्वजनिक फर्म / उपक्रम व 15 प्रतिश्रत लघु उघोग इकाईयों) से अधिक नहीं होगा। परन्तु निविदा के जरिये प्राप्त न्यूनतम दर से मिलान करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त औषधि क्रय नीति भविष्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के तहत			नीति का प्रमुख उद्देश्य राजकीय अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आक्स्पक दुवाईयाँ निश्चलक उपलब्ध कराना है।
निगम के अन्तर्गत क्रय अधिमान राजकीय सार्वजनिक उपक्रम तथा राजकीय लघु उद्योग इकाईयों के लिए कुल मिलाकर 25 प्रतिश्रत (10प्रतिश्रत सार्वजनिक फर्म / उपक्रम व 15 प्रतिश्रत लघु उद्योग इकाईयाँ) से अधिक नहीं होगा। परन्तु निविदा के जरिये प्राप्त न्यूनतम दर से मिलान करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त औषधि क्रय नीति भविष्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज काँरपोरेशन के तहत क्रय की जाने वाली समस्त दवाईयों सर्जिकल सर्वार्य तथा अन्य अन्य अन्य अन्य का जाने वाली समस्त दवाईयों सर्जिकल सर्वार्य तथा अन्य अन्य अन्य अन्य अन्य अन्य अन्य अन्य		3.	। मुख्य ।बन्द् :
निगम के अन्तर्गत क्रय अधिमान राजकीय सार्वजनिक उपक्रम तथा राजकीय लघु उद्योग इकाईयों के लिए कुल मिलाकर 25 प्रतिश्रत (10प्रतिश्रत सार्वजनिक फर्म / उपक्रम व 15 प्रतिश्रत लघु उद्योग इकाईयाँ) से अधिक नहीं होगा। परन्तु निविदा के जरिये प्राप्त न्यूनतम दर से मिलान करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त औषधि क्रय नीति भविष्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन के तहत क्रय की जाने वाली समस्त दवाईयों सर्जिकल सर्वार्य तथा अस्थान करना अस्थान के		1.*	
उपरोक्त औषधि क्रय नीति भविष्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के तहत 3. क्रय की जाने वाली समस्त दवाईयों सर्जिकल सर्वार्स तथा अस्म अस्म नि	-	2.	निगम के अन्तर्गत क्रय अधिमान राजकीय सार्वजनिक उपक्रम तथा राजकीय लघु उद्योग इकाईयों के लिए कुल मिलाकर 25 प्रतिश्वत (10प्रतिश्वत सार्वजनिक फर्म / उपक्रम व 15 प्रतिश्वतं लघु उद्योग इकाईयाँ) से अधिक नहीं होगा। परन्तु निविदा के जिर्थे प्राप्त न्यूनतम दर से मिलान करना अनिवार्य होगा।
And the second s		3.	जपरोक्त औषधि क्रय नीति भविष्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के तहत क्रय की जाने वाली समस्त दवाईयों सर्जिकल सर्वार्स तथा असर

त्र विशेष अवस्थित हो। ये अस्त अस्त विशेष के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के ति विशेष के स्वार्थ के

उपरोक्त नीति सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

(डॉ.सिमत शर्मा) प्रबन्ध निदेशक राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन जयपुर।

Mark State Mark Albert 11 Ar

रावित है हुने क्षेत्रिकार कुछ उल्लेखात

Government of Rajasthan Rajasthan Medical Services Corporation (RMSC)

Department of Medical, Health & Family Welfare Services Swasthya Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

No.F.2(1)/RMSCL/Logistics/DDW/2011/109

Date . 30-06-20-11

All CMHOs

Sub: Strengthening of District Drug Warehouse.

With reference to our letter no. F.2 (1)/RMSCL/Logistics/DDW/2011/23 dated 01-06-2011, a committee has been constituted to monitor the physical progress of DDWs before implementation of free distribution of commonly used drugs at Govt. Hospitals.

For effective monitoring of these DDWs, a comprehensive checklist has been prepared which is to be filled by you and submitted to the undersigned within 3 days period so that a compiled report may be generated for needful.

Kindly treat it on urgent basis.

Dr. Samit Sharma Managing Director RMSC

Government of Rajasthan Rajasthan Medical Services Corporation

Department of Medical, Health & Family Welfare Services Swasthya Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

Phone No: 0141-5110730



No./RMSCL/2011/115

Date: 5-07-2011

Office Order

All deputed RMSC officers are directed to visit their assigned districts as per schedule to monitor the status & progress of furnishings of the district drug warehouses as per the attached check list and submit a report to the undersigned not later than 11th July 2011.

A committee for the same has already been constituted under the chairmanship of CM&HO along with PMO, DPC, DPM & X.En /A.En. to monitor and submit a report every 15days on the progress of the drug warehouses.

Coordinate with your respective DPC and CM&HO to fi cilitate to organize the meeting with above committee and review the preparedness of drug warehouses and drug distribution center. This team is expected to jointly visit the drug warehouse for reviewing its preparedness.

Encl.:

- 1. Format for Status/ checklist of the drug warehouses
- 2. Schedule/ tour program details
- 3. Copy of office order for committee to monitor at the district level.

Managing Director RMSC

Copy to: -

- 1. P.S. to Managing Director, RMSC
- 2. PA to Executive Director, RMSC
- 3. Copy for information to CH&HO and DPC
- 4. All concerned Officers
- 5. Guard File

Executive Director RMSC